न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं0–294 / 2009
सी.आई.एस. 294 / 2009

23-03-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। प्रस्तुत अधिकार वाद में वादी सं0–2 के विधिक वारिसान दिनांक–20.09.2022 को आवेदन संचालित करते हैं तथा आवेदन देने में हुए विलम्ब हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम सिविल प्रकिया संहिता को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि वादी सं0–2 नागेश्वर प्रसाद राय की मृत्यु 23.02.2022 को हुई है, जबकि इनकी पत्नी उमापति देवी जो कि वादी सं0–1 थी, उनकी मृत्यु पहले हो चुकी है और उनका नाम वादपत्र से विलोपित किया जा चुका है। साथ–ही यह भी निवेदन करते हैं कि वादी के दो पुत्र थे, जिनमें से कृष्णा राय की मृत्यु उनके माता पिता की मृत्यु से पहले हो गई है। वादी अपने पीछे एक पुत्र पंकज कुमार को छोड़कर चल बसे। साथ–ही यह भी अभिकथन करते हैं कि वादी विद्या प्रसाद विद्यार्थी भी मृत हो चुके हैं, जो अपने पीछे विधिक वारिसान के रूप में शुभम कुमार, सुधांशु कुमार, पियूष कुमार जो कि माइनर हैं और उनकी तरफ से स्वाभाविक अभिभावक के रूप में वादमित्र उनकी माता सुनीता देवी को बनाने के लिए अनुरोध करते हैं। इस प्रकार वादी सं0–2 नागेश्वर प्रसाद राय के नाम को विलोपित किया जाय एवं उनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाय।

वादी को सुना। अभिलेख अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात् वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–20.09.2022 के तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम सिविल प्रकिया संहिता के आवेदन में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदनों को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। साथ–ही वादी पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वादी सं0–2 के नाम को विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसानों के नाम को प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक–01.06.2023 वास्ते अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी